आदेश	कार्यवाही विवरण
29/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली आइंदा दिनांक 4/1/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़
4/1/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली बहस अंतिम के स्तर पर विचाराधीन है। आवश्यक पालना हेतु आइंदा दिनांक 7/3/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़
7/3/24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उप. वकील वादी द्वारा बहस की गई। वकील प्रतिवादी ने लिखित बहस [illegible] में पेश कर रखी है अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/03/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
20/3/24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उप. समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 02/04/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
2/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा. मि. किया गया। पत्रावली [illegible] होकर दर्ज नम्बर [illegible] बाद तकमील [illegible] दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 2/4/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested

0न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी डॉ हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 151/2019 दायर दिनांक–29.08.2019

1 रामदेवसिंह पुत्र रामनाथ सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ़।
1/1 बनारसी देवी पत्नी रामदेव सिंह
1/2 विरेन्द्र पुत्र रामदेव सिंह
1/3 रणजीत पुत्र रामदेव सिंह
1/4 संतोष देवी पुत्री रामदेव सिंह
1/5 विमला पुत्री रामदेव सिंह
1/6 तारामणी पुत्री रामदेव सिंह समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

– वादीगण

बनाम

1. देवकरण पुत्र मुखराम
2. नेतराम पुत्र मुखराम
3. मूलचन्द पुत्र मुखराम
4. रूघवीर पुत्र मुखराम
   4/1 बिदामी पत्नी रूघवीर
   4/2 अनिल पुत्र रूघवीर
   4/3 कल्पना पुत्री रूघवीर
   4/4 अल्का पुत्री रूघवीर समस्त जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़।
5. प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बुगाला तहसील नवलगढ़।
6. प्रबंधक झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़।
7. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री विप्लव पंडित**
वकील प्रति॰ :– **श्री रणधीर सिंह**

दावा बाबत घोषणा, नक्शा दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 02.04..2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 328 की नक्शा सीट पुरानी नक्शा सीट (सन् 1935–36) के अनुसार दुरूस्त की जावे तथा इस आश्य की घोषणा की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 1412/328, 329 के संबध में गलत नक्शे के आधार पर आपस में मिलकर वादी की खातेदारी की भूमि पर नाजायज रूप से ताकत व लठ के बल पर कब्जा नही करे व सीमाओं को काटकर अपनी भूमि में नही मिलावे व मौके पर किसी भी प्रकार से विधि विरूद्व कार्यवाही को अंजाम नही देवे।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के जवाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा नक्शा ट्रेस गलत बनाये जाने का उल्लेख किया है वह गलत है। वादी द्वारा उक्त धारा में वर्णित तथ्यों को आधारहीन व बेबूनियाद रूप से अंकित किया है जबकि वादी प्रतिवादीगण से लड़ाई झगड़ा व भूमि की सींव पर अवैध रूप से अतिक्रमण करता रहा है। वादी द्वारा राजस्व विभाग के कर्मचारियों से साज कर प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 पर बेबूनियाद आरोप लगाये है जबकि वादी की भूमि पर रिकॉर्ड में दर्ज नपती से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर रखा है। वादी के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है ना ही वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन है क्योंकि खसरा नम्बर 3338 में लगभग 50 साल से मकान व कुआं

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 14:37:53 IST
Reason: SelfAttested

स.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

बना हुआ है जो वादी ने उक्त खसरान को क्रय किया उससे पहले से प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 उक्त भूमि पर काबिज है।

यदि वाद पत्र में संलग्न पुरानी नक्शा सीट के आधार पर भी घोषणा की जाती है तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 के खेत खसरा नं0 328 से वादी ने जो अतिक्रमण किया है उसे हटाया जावे।

अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि यह दावा मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों की ओर से जबाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई।

1. तनकी नम्बर 1 :– आया वादी ग्राम बुगाला के खसरा नम्बर 326, 327, 328 की नक्शा सीट पुरानी नक्शा सीट सन् 1935–36 के अनुसार दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

भा.स.वादी

2. तनकी नम्बर 2 :– आया वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वे ग्राम बुगाला के खसरा नम्बर 326, 327, 1412/328, 329 के संबंध में गलत नक्शे के आधार पर कब्जा नही करें, सीमाओं को नही काटे व सीमा पर खड़े पेड़ो को नही काटे।

भा.स.वादी

3. तनकी नम्बर 3 :– आया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 खेत खसरा नम्बर 328 में वादी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाने का अधिकारी है।

भा.स.प्र0वा0 1से 4

4. तनकी नम्बर 4 :– आया प्रतिवादीगण 1 से 4 वादी से खर्चा मुकदमा प्राप्त करने का अधिकारी है।

भा.स.प्र0वा0 1से 4

5. तनकी नम्बर 5 :– आया प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने खसरा नम्बर 328 में वादी द्वारा क्रय करने से पूर्व ही मकानात बना रखे होने तथा वादी की नियत में खेट आने से झूठा मुकदमा पेश करने से वाद खारिज हाने योग्य है।

भा.स.प्र0वा0 1से 4

तनकीयात कायम होने पर शहादत ली गई। शहादत वादी में वादीगण ने अपने की ताईद में स्वयं रामदेव सिंह, रणजीत व नाहरसिंह के सपथ पत्र प्रस्तुत करवाये गये तथा इनके बयान लेखबद्ध करवाये। वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात पेश किये गयें।

शहादत प्रतिवादी में देवकरण, महेन्द्र, सुशील, मनोज, अनिल उपस्थित न्यायालय होकर चीफ के सपथ पत्र पेश किये तथा अपने बयान लेखबद्ध करवाये।

सहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील उभय पक्ष लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील प्रतिवादी ने लिखित बहस प्रस्तुत की। वकील उभय पक्ष ने अपनी बहस/लिखित बहस मे अपने दावे एंव जबाब के तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए निर्णय तनकीवार निम्नानुसार हैः–

1. तनकी नम्बर 1 :– आया वादी ग्राम बुगाला के खसरा नम्बर 326, 327, 328 की नक्शा सीट पुरानी नक्शा सीट सन् 1935–36 के अनुसार दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

भा.स.वादी

तनकी नम्बर 1 को साबित करने का भार वादी पर है । वादी ने वाद पत्र के मद संख्या 10 (क) के अनुसार निम्न रिलिफ डिमाण्ड की हैः– ग्राम बुगाला के खसरा नम्बर 326, 327, 328 की नक्शा सीट पुरानी नक्शा सीट सन् 1935–36 के अनुसार दुरूस्त की जावे।

यहां उल्लेखनीय है कि वादी ने परानी नक्शा सीट सन् [illegible] आधार पर नक्शा दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ चाही है जिसपर प्रतिवादी [illegible] जबाब में बिन्द संख्या 10 क में सहमति प्रदान की है तथा उसके बाद उस[illegible] को अतिक्रमण [illegible]ये दावा खारिज करने का निवेदन किया। वादी खातेदार काश्तकार है तथा [illegible] को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अतः तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में तय की जाती [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested

2. तनकी नम्बर 2 :– आया वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वे ग्राम बुगाला के खसरा नम्बर 326, 327, 1412/328, 329 के संबंध में गलत नक्शे के आधार पर कब्जा नही करें, सीमाओं को नही काटे व सीमा पर खड़े पेड़ो को नही काटे।

ए. सी. ई. एम. (का. के.)
नवलगढ़

भा.स.वादी

तनकी नम्बर 2 को साबित करने का भार वादी पर है । वादी ने वाद पत्र के मद संख्या 10 (ख) के अनुसार निम्न रिलिफ डिमाण्ड की है:– प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वे ग्राम बुगाला के खसरा नम्बर 326, 327, 1412/328, 329 के संबंध में गलत नक्शे के आधार पर कब्जा नही करें, सीमाओं को नही काटे व सीमा पर खड़े पेड़ो को नही काटे। विवादग्रस्त भूमि सामलाती खातेदारी की भूमि है तथा नक्शा सीट दुरूस्त नही होने के कारण प्रतिवादीगण 1 लगायत 04 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध करवाने का अधिकारी है। अतः तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

3. तनकी नम्बर 3 :– आया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 खेत खसरा नम्बर 328 में वादी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाने का अधिकारी है।

भा.स.प्र0वा0 1से 4

तनकी नम्बर 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 पर है । उक्त विवादग्रस्त भूमि का नक्शा सीट गलत रूप से बने होने के कारण अतिक्रमण का होना बताना अस्पष्ट है तथा अतिक्रमण बाबत प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है। अतः तनकी नं0 3 को प्रतिवादीगण साबित करने मे पूर्णतया असफल रहे है।

4. तनकी नम्बर 4 :– आया प्रतिवादीगण 1 से 4 वादी से खर्चा मुकदमा प्राप्त करने का अधिकारी है।

भा.स.प्र0वा0 1से 4

5. तनकी नम्बर 5 :– आया प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने खसरा नम्बर 328 में वादी द्वारा क्रय करने से पूर्व ही मकानात बना रखे होने तथा वादी की नियत में खोट आने से झूठा मुकदमा पेश करने से वाद खारिज हाने योग्य है।

भा.स.प्र0वा0 1से 4

तनकी नम्बर 4, 5 :– उक्त तनकीया एक दुसरे से सम्बन्धित होने से उक्त तनकियों की एक साथ विवेचना की जा रही है। तनकी नम्बर 4 व 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 पर है । प्रतिवादीगण की ओर से उक्त तनकी में दर्ज तथ्यों बाबत कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये गये है। अतः तनकी नं0 3 व 4 को प्रतिवादीगण साबित करने मे पूर्णतया असफल रहे है। फलस्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

::आदेश::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम बुगाला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 328 की नक्शा सीट पुरानी नक्शा सीट सन् 1936–37 के अनुसार नक्शा दुरुस्त करने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 को पुराने नक्शे व नये नक्शे में अंतर वाले विवादग्रस्त भूमि भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 02.04.**2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/4/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 151/2019 **(रामदेव बनाम देवकरण आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 02.04.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बुगाला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 328 की नक्शा सीट पुरानी नक्शा सीट सन् 1936–37 के अनुसार नक्शा दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 को उक्त विवादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.04.2024 को जारी की गई।

2/4/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़

मोहर

सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested